प्रकरण सं0 140/2022 तारीख दायर :–04.03.2022 दिनांक निर्णय :–15.03.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर (2022/32)

बनाम

1.रामकिशोर पुत्र सुखराम जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2.भरतलाल पुत्र सुखराम जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

3.किशनलाल पुत्र पूरणमल जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

4.भोलाराम पुत्र हरिया जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

5.हीरालाल पुत्र हरिया जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

6.लालाराम पुत्र हरिया जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि गैरसायलान रामकिशोर, भरतलाल पुत्रान सुखराम, किशनलाल पुत्र पूरणमल, भोलाराम, हीरालाल, लालाराम पुत्रान हरिया जाति मीना निवासी भजेड़ा ने ग्राम भजेड़ा की राजकीय चारागाह भूमि के ख0न0 170 रकबा 1.37 हे0 पर चने की फसल काश्तकर सम्वत 2078 मे अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किये गये। गैरसायलान की ओर से लालाराम उपस्थित आया। गैरसायलान की ओर से नोटिस का कोई जवाब व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। गैरसायलान के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाकर बेदखली के आदेश पारित किये गये। साथ ही सरह लगान के 11.63 रू की 50 गुणा राशि 582/–रू पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि फसल को कब्जेराज लेकर, फर्दनिलामी वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को बेदखली कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे। तहसील राजस्व लेखाकार तहसील हाजा व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 15.03.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
... संख्या 29 ... 582/-
राशि कायम किये गये।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ़
जिला अलवर